व सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में निहित होना साबित होता है। अतः यह बिंदू भी सायलान के पक्ष में साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षति:–** प्रथम दोनों बिंदू सायलान के पक्ष में साबित हुए है। साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा भू–अभिलेख में अपना नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर पैतृक पुश्तैनी वादग्रस्त आराजी आगे किसी अन्य को बेचान व हस्तांतरित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इससे प्रकरण में अनावश्यक जटिलता बढ़ेगी एवं सायलान को सुगम न्याय निर्णयन में अहितकारी विलंब एवं जटिलता का सामना करना पड़ेगा। गैरसायल संख्या 1 द्वारा सायलान के हस्तगत प्रार्थना–पत्र में वर्णनानुसार अपने हक–अधिकार की आराजी का किसी अन्य को हस्तांतरण करने से उसे अधिक असुविधा होगी। इस प्रकार यदि सायलान के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो सायलान को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक **गैरसायल संख्या 1** को वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करने तथा वर्तमान भू–अभिलेख में परिवर्तन नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं आवश्यक समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। **गैरसायल संख्या 1** को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रामावासकलां पटवार हल्का रामावासकलां भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बैडकला तहसील जैतारण जिला ब्यावर खसरा नम्बर 20 रकबा 0.2104 हैक्टयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 24 रकबा 0.5827 हैक्टयर किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 25 रकबा 1.7482 हैक्टयर किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 26 रकबा 0.7203 हैक्टयर किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 7 रकबा 3.0028 हैक्टयर किस्म चाही चारम का रहन, बैचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वर्तमान भू–अभिलेख में परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 30.10.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)